

अति आवश्यक

::महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर::

क्रमांक:विधि/परिपत्र/2015/ २२५९८- ५७८

दिनांक:- 14/12/2020

उप महानिरीक्षक कारागार

रेंज कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/उच्च सुरक्षा कारागृह/विशिष्ट केन्द्रीय/
जिला एवं समस्त महिला बंदी सुधार गृह, राजस्थान

विषय:-माननीय न्यायालय द्वारा पैरोल प्रकरणों में पारित आदेशों की
पालना इस कार्यालय के पत्रांक 45347-388 दिनांक
14.12.2016 के अनुसार पालना करने के संबंध में।

महोदय,

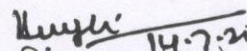
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्रांक
विधि/(255/51)2016/45347-388 दिनांक 14.12.2016 के द्वारा निर्देशित किया गया
था कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैरोल याचिकाओं में पारित आदेशों की
पालना अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए पालना रिपोर्ट अनिवार्यतः मुख्यालय को
प्रेषित की जाये तथा यदि किसी विशेष ऐसे प्रकरण में आदेश को चुनौती देने
का आधार/नियम/विधि का कोई प्रश्न निहित हो तो राजकीय
अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की विधिक राय एवं स्पष्ट आधारों के स्वयं
के अभिमत सहित प्रकरण को अविलम्ब व्यक्तिशः महानिदेशालय कार्यालय को
भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे प्रकरण में आगे अपील करने अथवा अपील
नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार को भिजवा कर यथासमय निर्णय कराया
जाना संभव हो सके।

अतः मुख्यालय के पत्रांक विधि/(255/51)2016/45347-388 दिनांक
14.12.2016 की पालना सुनिश्चित की जाये, यदि पैरोल प्रकरणों में माननीय
न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की पालना यथासमय नहीं होने की स्थिति में
अवमानना की स्थिति होती है तो संबंधित प्रभारी अधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

कृपया पत्र को प्राथमिकता प्रदान करावें।

संलग्न:-पत्र दिनांक 14.12.2016

भवदीय


(विक्रम सिंह कर्णावत)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. उप शासन सचिव, गृह(ग्रुप-12) विभाग शासन सचिवालय जयपुर को
सूचनार्थ। संलग्न:-पत्र दिनांक 14.12.2016
2. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, मुख्यालय कारागार को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करावें।
संलग्न:-पत्र दिनांक 14.12.2016


महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर

महानिदेशालय कारागार जयपुर

क्रमांक:विधि/(255/51)2016/ 45347- 388

दिनांक 14/12/16

1. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. समस्त अधीक्षक/उप अधीक्षक/ केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान,
3. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर
4. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर
5. महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर

विषय:-डी.बी.सिविल रिट अवमानना याचिका संख्या 1388/16
अन्तर्गत डी.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 9825/16
लक्ष्मण उर्फ तोलू बनाम श्री अजीत सिंह व अन्य में
पारित निर्णय दिनांक 25.11.16 की पालना के संबंध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.16 की प्रति संलग्न कर लेख है कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 25.11.16 में पैरोल प्रकरणों में पारित आदेशों की पालना में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए मुख्यतः निम्न निर्देश दिये हैं:-

"we are not at all satisfied with the explanation furnished by the officer but we refrain ourselves from taking further action in the matter and while disposing of the instant contempt petition, we direct the state Authorities, Jail authorities in particular, that in parole matters, the authorities must expedite the matter and take a decision promptly/ expeditiously, so that right of parole of the convict-petitioner which has been accepted by this court should not be defeated on account of delay being caused which certainly in our view caused injustice to him.

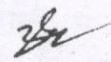
Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary, Government of Rajasthan & Director General of Prisons, Rajasthan, Jaipur for necessary compliance."

पैरोल याचिकाओं में पारित आदेशों के संबंध में प्रकरण आगे अपील/नो अपील हेतु राज्य सरकार को भेजे जाते हैं उनमें नो अपील की सूचना देरी से मिलने से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना करने में काफी विलम्ब होता है, जिससे अनावश्यक रूप से विभाग एवं सरकार के विरुद्ध अवमानना याचिकाएं दायर होती हैं तथा विभाग एवं सरकार की छवि धूमिल होती है। वैसे भी पैरोल याचिकाओं में कोई राज्य सरकार की वित्तीय हानि की संभावना नहीं होती है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैरोल याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए पालना रिपोर्ट अनिवार्यतः मुख्यालय को प्रेषित की जाये तथा यदि किसी विशेष ऐसे प्रकरण में आदेश का चुनौती देने का आधार/नियम/विधि का कोई प्रश्न निहित हो तो राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की विधिक राय एवं स्पष्ट आधारों के स्वयं के अभिमत सहित प्रकरण को अविलम्ब व्यक्तिशः महानिदेशालय कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि ऐसे प्रकरण में आगे अपील करने अथवा अपील नहीं करने के संबंध में राज्य सरकार को भिजवा कर निर्णय कराया जाना संभव हो सके।

संलग्न:-निर्णय दिनांक 25.11.16 की प्रति।

भवदीय



(अजीत सिंह)
महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:-प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान सरकार को सूचनाार्थ
प्रेषित है। संलग्न:-निर्णय दिनांक 25.11.16 की प्रति।

Sd
महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर